न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01 / 2022

प्रविष्टि दिनांक 08.08.2022

सरकार जरिए तहसीलदार देवली जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

भंवरसिंह पुत्र स्वर्गीय नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक टोंक

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् खारिज करने वाद संख्या 166 / 2018 निर्णय दिनांक 02.12.2019

उपस्थित—

1. पेरोकार सरकार श्री मजहर आलम एड.।
2. श्री विजय पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी

अभिशंषा दिनांक 25/4/25

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार देवली द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली ने वाद संख्या 166 / 2018 निर्णय दिनांक 02.12.2019 उनवानी भंवर सिंह बनाम सरकार में ग्राम नासिरदा के ख0न0 569 रकबा 2.43 हैक्टेयर जिसके हाल नये ख०न० 445 रकबा 2.43 हैक्टेयर बने है, का प्रतिवादी को गैर खातेदार उदघोषित किया है जो राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। ग्राम नासिरदा में प्रतिवादी भंवरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक को दिनांक 31.10.1975 को साबिक ख०न० 455 में 05 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी जिसे नामांतरण संख्या 1336 दिनांक 23.11.1975 से गैर खातेदोरी अधिकार दिये गये। इस नामांतरण को सरपंच ग्राम पचायत नासिरदा द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त भूमि भू–प्रबंध के बाद ख0न0 569 रकबा 2.43 है. सिवायचक दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादी भंवरसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली में वाद दायर करने पर न्यायालय ने ख०न० 569 रकबा 2.43 है. के हाल नंबर 445 रकबा 2.43 हैक्टेयर का गैर खातेदारी उदघोषित किया जाने का आदेश दिया है। जबकि आवंटित भूमि रकबा 05 बीघा का परिवर्तन क्षेत्रफल 1.25 हैक्टेयर ही बनता है। उक्त निर्णय को विधिविधान के प्रतिकूल बताते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के वाद संख्या 166 / 2018 निर्णय दिनांक 02.12.2019 उनवानी भंवरसिंह बनाम सरकार को खारिज कराने हेतु रेफरेन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस अप्रार्थी की गई। उपखण्ड अधिकारी, देवली से वाद संख्या 166 / 2018 निर्णय दिनांक 02.12.2019

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

उनवानी भंवरसिंह बनाम सरकार से संबंधित पत्रावली तलब की गई। पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली ने वाद संख्या 166/2018 निर्णय दिनांक 02.12.2019 उनवानी भंवर सिंह बनाम सरकार में ग्राम नासिरदा के ख0न0 569 रकबा 2.43 हैक्टेयर जिसके हाल नये ख०न० 445 रकबा 2.43 हैक्टेयर बने है, का प्रतिवादी को गैर खातेदार उदघोषित किया है जो राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। ग्राम नासिरदा में प्रतिवादी भंवरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक को दिनांक 31.10.1975 को साबिक ख०न० 455 में 05 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी जिसे नामांतरण संख्या 1336 दिनांक 23.11.1975 से गैर खातेदोरी अधिकार दिये गये। इस नामांतरण को सरपंच ग्राम पंचायत नासिरदा द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त भूमि भू–प्रबंध के बाद ख0न0 569 रकबा 2.43 है. सिवायचक दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादी भंवरसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली में वाद दायर करने पर न्यायालय ने ख०न० 569 रकबा 2.43 हैक्टेयर के हाल नंबर 445 रकबा 2.43 है. का गैर खातेदारी उदघोषित किया जाने का आदेश दिया हैक्टेयर जबकि आवंटित भूमि रकबा 05 बीघा का परिवर्तन क्षेत्रफल 1.25 हैक्टेयर ही बनता है। प्रतिवादी भंवरसिंह द्वारा माननीय न्यायालय उपकारी अधिकारी देवली में किये गये वाद में भी प्रतिवादी द्वारा 1.25 हैक्टेयर भूमि ही दिये जाने की अभियाचना की गयी है। न्यायालय द्वारा 1.25 हैक्टेयर के मुकाबले 2.43 हैक्टेयर रकबा गैर खातेदारी में दिये जाने का आदेश दिया है जो नियमों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। मूल ग्राम नासिरदा से नवीन राजस्व ग्राम गोपालपुरा बनने से 569 के हाल खसरा नं. 445 बने है। खसरा नं. 445 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड हैं। आवंटी भंवरसिंह ने आवंटन पट्टे की शर्त नम्बर 3 की पालना नहीं की है, आवंटी के नाम भूमि कब्जे काश्त के साक्ष्य नहीं है एवं नामांतरण की नकल में भंवरसिंह सैनी के पिता का नाम अंकित नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी देवली के वाद संख्या 166/2018 निर्णय दिनांक 02.12.2019 उनवानी भंवरसिंह बनाम सरकार को खारिज करने हेतु रेफरेंस माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने की कृपा करें। प्रार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि हेतु निर्णय व डिकी दिनांक 02.12.2019, मिलान क्षेत्रफल ख0न0 569 व 445,नकल मिसल बंदोबस्त ख०न० 589 व नकल वर्तमान जमाबंदी ख०न० 425 मय नक्शा ट्रैस व खसरा गिरदावरी पेश की।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विपक्षी (वादी) को दिनांक 31.10.1975 को साबिक खसरा नम्बर 455 में 5 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था तथा उक्त आवंटन के पश्चात विपक्षी वादी ने उक्त भूमि में हजारों रू. खर्च कर व भूमि सुधार कर, एंव समतल कर कर कृषि योग्य बनाया है तथा सम्वत 2032 से 2035 में विपक्षी वादी को नामान्तकरण संख्या 1336 दिनाक 31.10.1975 के द्वारा गैर खातेदारी प्रदान की गई। । विपक्षी को जो आवंटन व गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया है. वह सही विधिक प्रक्रिया अपनायी जाकर किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, देवली द्वारा दिया गया आदेश विधि सम्मत है तथा विधिनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनायी जाकर ही वादी का वाद गुणावगुण के आधार पर डिक्री किया गया है। विपक्षी वादी को भूमि खसरा नम्बर 455 जिसके हाल खसरा नम्बर 569 रकबा 2.43 हेक्टेयर बनाये गये हैं, में विपक्षी वादी को 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था बाद सेटलेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने उक्त वर्णित भूमि को सिवायचक कर दिया

जिला कलेक्टर टोंक

था, जिसके लिए विपक्षी वादी ने माननीय उपखण्ड अधिकारी देवली के न्यायालय में वाद पेश किया था, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली ने गुणावगुण के आधार पर विपक्षी वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो सही पारित किया गया है। विपक्षी वादी ने आवंटन की दिनाक से उक्त वर्णित भूमि लगातार कब्जे मे रही है और विपक्षी वादी के भारतीय सेना में सिपाही के पद पर कार्यरत होकर देश सेवा कर काश्त करवाता रहा है। रेफरेन्स उन्ही मामलों में किया जा सकता है, जिनमें कोई विधि के प्रश्न पर किसी अधिनियम, अध्याधेश, या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित है, जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ही रेफरेन्स किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में उक्त प्रकार का कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है।

विपक्षी वादी जो कि भारतीय सेना में रहते हुए अपनी जमीन को अपने परिवार से काश्त करवाता था, तथा सेटलमेन्ट के कर्मचारियों की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की जानकारी होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक के यहां पर एक वाद बाबत् उद्घोषणा दूरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था, जिसमें प्रार्थी प्रतिवादी तहसीलदार देवली ने अपने जवाब में आवंटन होना तथा नामान्तकरण खोले जाने के अधिकार को भी स्वीकार किया है एवं विपक्षी वादी को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के तथ्य को अपने जवाब में स्वीकार किया है। इस प्रकार जहां किसी तथ्य को कोई एजेन्सी/संस्था/भूमि धारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उन्ही तथ्यों के आधार पर दूसरी किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि उक्त प्रकरण में ऐसा कोई नियम, अध्याधेश, नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा किसी तरह का तथ्य प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत रेफरेन्स में नहीं किया है। जहां किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को अपील का अधिकार प्राप्त हो, उस प्रकरण में रेफरेन्स पेश करना कानूनी एंव विधि सम्मत नही है। यदि प्रार्थी को माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णय से किसी तरह की कोई असहमति थी या असन्तुष्टि थी तो सक्षम न्यायालय में अपील की जानी चाहिये थी तथा प्रार्थी द्वारा इस तरह की किसी तरह की कोई अपील पेश नहीं की गई है इस कारण रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का रेफरेन्स विपक्षी वादी के खिलाफ मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे ।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, उपखण्ड अधिकारी, देवली के निर्णय पत्रावली , मिलान क्षेत्रफल खसरा नं. 569 एवं 445, नकल मिसल बन्दोबस्त ख0 नं. 569, नकल वर्तमान जमाबन्दी ख0 नं. 425 मय नक्शा ट्रेस व खसरा गिरदावरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि ग्राम नासिरदा में प्रतिवादी भंवरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक को दिनांक 31.10.1975 को साबिक ख०न० 455 में 05 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। जिसे नामांतरण संख्या 1336 दिनांक 23.11.1975 से गैर खातेदोरी अधिकार दिये गये। उक्त भूमि भू-प्रबंध के बाद ख0न0 569 रकबा 2.43 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादी भंवरसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली में वाद दायर करने पर न्यायालय ने ख०न० 569 रकबा 243 हैक्टेयर के हाल नंबर 445 रकबा 2.43 है. का गैर खातेदारी उदघोषित किया जाने का आदेश दिया जबकि आवंटित भूमि रकबा 05 बीघा का परिवर्तन क्षेत्रफल 1.25 हैक्टेयर ही बनता है। प्रतिवादी भंवरसिंह द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली में किये गये बाद में भी प्रतिवादी द्वारा 1.25 हैक्टेयर भूमि ही दिये

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

जाने की अभियाचना की गयी है। न्यायालय द्वारा 1.25 हैक्टेयर के मुकाबले 2.43 हैक्टेयर रकबा गैर खातेदारी में दिये जाने का आदेश दिया है जो नियमों के प्रतिकूल है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा वाद संख्या 166/2018 उनवानी भंवरसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 विधिविरूद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल है। अतः ऐसी स्थिति में हमें रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के वाद संख्या 166/2018 उनवानी भंवरसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 25/4/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सोकरिया)
अति. जिला कलेक्टर
टोंक